बजट
2015-2016
की
मुख्य विशेषताएं

28 फरवरी, 2015

बजट 2015-2016 की मुख्य विशेषताएं

परिचयः

- पिछले 9 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था की साख बढ़ी है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र विकास के पथ पर प्रशस्त है।
- अधिकतर विकास सम्बन्धी भविष्यवक्ताओं ने वैश्विक आर्थिक विकास को कमतर बताते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के स्तरोन्वयन की भविष्यवाणी की है।

- आर्थिक तौर पर सशक्त राज्य भारतीय अर्थव्यवस्था में समान भागीदार है।
- सभी भारतीयों के लाभ के लिए सरकार ने पूरे वर्ष अर्ह-निश विकास, वृद्धि निवेश के प्रयास किए है।
- प्रतिकूल बृहद-आर्थिक संकेतकों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पहली "नियति और निराशा" की भावना में डूब रही थी किन्तु पिछले नौ महीनों में देश ने कामयाबी की एक बड़ी छलांग मारी है, 7.4 प्रतिशत की वास्तविक जी.डी.पी विकास के साथ अब (नई श्रृंखला में) भारत विश्व के सबसे बड़े और तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में उभरा है।
- स्टॉक मार्केट-2014 में द्वितीय बेहतरीन निष्पादक रहा।
- वहनीय निर्धनता उन्मूलन, नौकरियों के सृजन के लिए वृहद आर्थिक सुस्थिरता पूर्व स्थिति और दोहरे अंशों की विश्वसनीय आर्थिक विकास दर हासिल की गई।
- भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धित सुपुर्दगी से जनता का विश्वास हासिल किया।

तीन प्रमुख उपलब्धियाँ

- वित्तीय समावेशन-100 दिनों के भीतर ₹12.5 करोड़ परिवारों को वित्तीय मुख्यधारा में शामिल किया गया।

- राज्यों को वृद्धि संसाधनों के अंतरण के लिए कोल ब्लाकों का पारदर्शी आबंटन।
- स्वच्छ भारत स्वच्छता और साफ-सफाई बढ़ाने का कार्यक्रम भर नहीं था बल्कि यह एक पुनरूज्जीवन आन्दोलन बन गया था।

अत्याधिक पिरवर्तनकारी सुधार

- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)।
- जन-धन, आधार और मोबाइल (जाम)-प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण का कारगर हथियार।

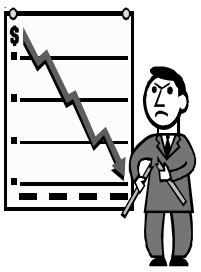

अर्थव्यवस्था की स्थिति

मुद्रा स्फीति

- ह्रासमान मुद्रास्फीति-अवसंरचनागत बदलाव।
- वर्ष के अंत में 5% सीपीआई स्फीति। परिणामतः मौद्रिक नीति का सरलीकरण।

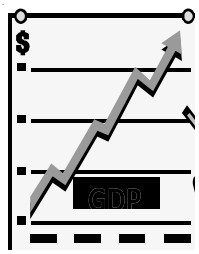

- मुद्रास्फीति को 6% से नीचे रखने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मौद्रिक नीति संरचना समझौता।
- वर्ष 2015-16 में स.घ.अ. वृद्धि, 8 से 8.5 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान।

अमृत महोत्सव-वर्ष 2022 - स्वतंत्रता का 75वीं वर्षगांठ

प्रधान मंत्री के नेतृत्व में "टीम इंडिया" हेतु दृष्टिकोण

- सबके लिए घर-शहरी क्षेत्र में 2 करोड़ तथा ग्रामीण क्षेत्र में 4 करोड़ घर।
- 24x7 बिजली, स्वच्छ पेय जल, शौचालय और सड़क केनक्टविटी की आधारभूत सुविधा।

- आजीविका के लिए हर परिवार के कम से कम व्यक्ति को रोजगार।
- महत्वपूर्ण गरीबी उन्मूलन।
- 2020 तक ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा सहित 20,000 शेष गांवों का विद्युतीकरण।
- 178,000 अन कनेक्टेड वसावटों में से प्रत्येक घर को कनेक्ट करना।
- प्रत्येक गांव और शहर में चिकित्सीय सेवा मुहैया कराना।
- प्रत्येक बच्चे के 5 कि.मी. के अभिगम दायरे में एक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सुनिश्चित करना और इसके साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षण परिणामों में वृद्धि करना।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण-सिचित क्षेत्र में वृद्धि, मौजूदा सिंचन प्रणाली की दक्षता बढ़ाना और कृषि उत्पादों के लिए मूल्य वर्धित तथा यथोचित कीमत तय करना।

- सभी गांवों में संचार कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना।
- "मेक इन इंडिया" और "स्किल इंडिया" भारत सरीखे कार्यक्रमों से भारत को विश्व के मैन्युफैक्चरिग केन्द्र के रूप में तब्दील करना।
- युवाओं को रोजगार सृजन बनाने के लिए उद्यमिता की भावना का प्रोत्साहन व विकास।
- पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास देश के अन्य भागों की ही तरह करना।

प्रमुख आसन्न चुनौतियां

- पांच प्रमुख चुनौतियां: कृषि आय का दाबवग्रस्त होना, अवसंरचना में बढ़ता हुआ निवेश, विनिर्माण,में गिरावट राज्यों के वृद्धि अन्तरणों के मद्देनजर संसाधनों में व्याप्त तनाव, राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना।

- इन चुनौतियों से निपटने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में तीव्र निवेश की जरूरत है, विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियों के सृजन के लिए "मेक इन इण्डिया कार्यक्रम" कृषि शिक्षा,स्वास्थ्य,मनरेगा जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को सहयोग जारी रखना तथा सड़कों के साथ साथ ग्रामीण अवसंरचना।
- 2014-15 में राजकोषीय घाटे को जी.डी.पी के 4.1 प्रतिशत पर नियंत्रित रखा गया था। जबकि कम महगाई और परिणामस्वरूप सब सहवर्ती का प्लावक्ता से जी.डी.पी. की दर मामूली तौर पर नीचे रही थी।

राजकोषीय रूपरेखा

- सरकार जी.डी.पी. की 3% की दर पर राजकोषीय घाटा लक्ष्य हासिल करने के लिए कृत संकल्प है।
- राजकोषीय खाते में अतिरिक्त राजस्व अनुमानों के बिना ही वास्तविक आंकड़े दर्शाए गए।

- अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ, राजकोषीय समेकन की गति में तेजी लाने का दबाव घटा।
- तदनुसार, 3 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 2 वर्षों की अपेक्षा 3 वर्षों में प्राप्त कर लिया जाएगा। वित्त वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य क्रमशः 3.9%, 3.5%, और 3.0% है।

- अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश अवसंरचना निवेश का वित्तपोषण करेगी।
- सरकारी वित्त साधनों राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण से देखने न कि केन्द्रीय सरकार के परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता। केन्द्रीय सरकार में सकल सरकारी व्यय में पर्याप्त रूप से वृद्धि होने की आशा।
- घाटा उठाने वाली इकाइयों और कुछ रणनीतिक विनिवेश दोनों विनिवेश में शामिल।

सु-अभिशासन

- सब्सिडियों को ही समाप्त करने के बजाय सब्सिडी मे कमियों में सब्सिडियों को समाप्त करना। इसे प्राप्त करने के लिए, सरकार सब्सिडियों को युक्तिसंगत बनाने हेतु प्रतिबद्ध ।
- लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ से बढ़ाकर 10.3 करोड़ करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का और भी विस्तार।

कृषि

- कृषि उत्पादन हेतु दो महत्वपूर्ण निर्णायक कारकों अर्थात् मृदा और जल निपटने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।

- 'परम्परागत कृषि विकास योजना' को पूरी तरह से सहायता प्रदान की जाएगी।
- 'प्रति बूंद अधिक फसल' प्राप्त करने हेतु 'प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना'।
- लघु सिंचाई, जल,संभर विकास और 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के सहायतार्थ ₹5,300 करोड़। राज्यों न जुड़ने का अनुरोध किया।
- नाबार्ड में ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईईएफ) की स्थापना हेतु 2015-16 में ₹25,000 करोड़; ₹15,000 करोड़ दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण निधि हेतु; ₹45,000 करोड़ अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण ऋण पुनर्वित्त निधि के लिए; और ₹15,000 करोड़ अल्पावधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निधि के लिए।
- वर्ष 2015-16 के लिए कृषि ऋण का ₹8.5 लाख करोड़ का लक्ष्य।
- मनरेगा के तहत कार्यकलापों की गुणवत्ता और कारगरता में सुधार लाने पर विशेष ध्यान देना।
- किसानों के लाभार्थ राष्ट्रीय कृषि बाजार सृजित किए जाने की आवश्यकता, इसके मंद गति से कीमत वृद्धि के आनुषंगिक लाभ भी होंगे। सरकार; राज्यों में समेकित राष्ट्रीय कृषि बाजार के सृजन हेतु, नीति, के साथ कार्य करेगी।

वित्त रहित का वित्तपोषण

- 20,000 करोड़ की संचित निधि से सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित एजेंसी (मुद्रा) बैंक, और (₹3,000 करोड़ की ऋण गारंटी निधि का सृजन।
- उधार देने में अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमों को वरीयता।

- मुद्रा बैंक ऐसी सभी सूक्ष्य-वित्त संस्थाओं के पुनर्वित्तपोषण के लिए उत्तरदायी होगा जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए ऐसी लघु कारोबारी कंपनियों को उधार देने का कार्यकर रही हैं।
- एक व्यापार प्राप्ति बट्टा प्रणाली (टीआरईडीएस) की स्थापना की जाएगी जो एमएसएमई की व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण को सुगम बनाने के लिए एक इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म होगा।
- कारोबार की सुगमता हेतु वित्त वर्ष 2015-16 में वैश्विक मानदंड वाली व्यापक दिवालियापन संहिता लाई जाएगी।
- गांवों में फैले 1,54,000 उपस्थित केन्द्रों वाले डाक नेटवर्क का सामान्य वित्तीय प्रणाली तक लोगों की पहुँच बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाएगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक के पास पूंजीकृत और ₹500 करोड़ की शास्ति आकार वाले एनबीएफसी को सारफाइसी अधिनियम, 2002 के दृष्टिगत 'वित्तीय संस्थाओं के रूप में अधिसूचित करने पर विचार किया जाएगा।

जन धन से जन सुरक्षा तक

- सरकार सभी भारतीयों, खासकर गरीबों और अपेक्षितों के लिए कार्यात्मक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के सृजन हेतु कार्य करेगी।

- केवल 12 प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर ₹2 लाख के दुर्घटनाजन्य मृत्यु जोखिम को कवर करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
- अंशदान और अंशदान की अवधि के आधार पर परिभाषित पेंशन प्रदान करने हेतु अटल पेंशन योजना/ सरकार 31 दिसंबर, 2015 से पूर्व खोले गए नए खातों में पांच वर्षों तक ₹1,000 प्रति वर्ष तक सीमित लाभार्थियों के 50% प्रीमियम का अंशदान करेगी।
- 18-50 वर्ष के आयु समूह के लिए ₹330 प्रति वर्ष के प्रीमियम पर ₹2 लाख के प्राकृतिक और दुर्घटनाजन्य मृत्यु दोनों के खतरे को कवर करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
- गरीबी रेखा से नीचे के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक उपकरण तथा सहायक उपकरण प्रदान करने की योजना।
- पीपीएफ में लगभग ₹3,000 करोड़ और क.भ.नि. की संचित राशि में अनुमानतः ₹6,000 करोड़ की अदावाकृत जमा राशियां। ये राशियां उस राशि में विनियोजित की जाएंगी, जिन्हें वित्त विधेयक में वरिष्ठ नागरिक निधि के सृजन द्वारा इस सामाजिक सुरक्षा योजनाओं संबंधी प्रीमियमों हेतु इमदाद प्रदान करते हुए प्रयोग किया जाएगा।
- सरकार, अनुसूचित जातियों, अ.ज.जा. और महिलाओं के कल्याण हेतु चलाई जा रही स्कीमों के लिए प्रतिबद्ध है।

अवसंरचना

- सड़कों और रेलमार्गों हेतु परिव्यय में तीव्र वृद्धि। सरकारी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय भी बढ़ाया गया।
- ₹20,000 करोड़ के वार्षिक प्रवाह से राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) की स्थापना की जाएगी।
- रेल, सड़क और सिंचाई क्षेत्रों में परियोजनाओं हेतु कर मुक्त अवसंरचना निधि।
- अवसंरचना विकास के पीपीपी मोड पर पुनर्विचार और पुनरुद्धार किया जाएगा।

- शिक्षाविदों को शामिल करके नवोन्मेष संवर्धन प्लेटफार्म उपलब्ध कराने, और नवोन्मेष, अनुसंधान और विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय अनुभवों को ध्यान में रखते हुए नीति में अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम) की स्थापना की जाएगी। इसके लिए ₹150 करोड़ की राशि अलग से रखी जाएगी।

- सैंकड़ो बिलियन डालर मूल्य का सृजन करने हेतु वैश्विक निधियां जुटाने, अपने उत्कृष्टता केन्द्रों में उन्नत सुविधाएं जुटाने, मूल पूंजी और विकास के लिए वित्तपोषण, और कारोबार कार्य को सुगम बनाने आदि की और अधिक उदार प्रणाली संबंधी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों की चिन्ताओं का निराकरण किया जाएगा।

- कारोबार प्रारंभ करने के सभी तथ्यों को सहायता प्रदान करने के लिए टेक्नो-वित्तीय, सुविधा एवं सुगमता कार्यक्रम के रूप में स्व-नियोजन और प्रतिभा उपयोग (सेतु) की स्थापना की जाएगी। इसके लिए आरम्भिक राशि के रूप में नीति में ₹1000 करोड़ की राशि अलग से रखी जाएगी।

- सरकारी क्षेत्र में पत्तनों को निगमीकृत बनने, और निवेश जुटाने और वृहत् तथा भू संसाधनों की संवृष्टि हेतु कंपनी अधिनियम के तहत कंपनियों के रूप में निगमित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

- संभावना की जांच करने और एक मसौदा विधान तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति जहां पूर्व बहु पूर्व अनुज्ञाओं को विद्यमान विनियामक प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता हैओ। यह भारत को एक निवेश गंतव्य बनने को सुगम बनाएगा।

- प्लग और प्ले मोड में प्रत्येक 4000 मेगावाट; वाली 5 नई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं।

वित्तीय बाजार

- इस वर्ष विदेशी और घरेलू दोनों ही उधारों को एक जगह लाने के लिए सरकारी ऋण प्रबंध एजेंसी (पीडीएमए)।

- वित्त विधेयक, 2015 में शामिल सरकारी प्रतिभूतियां अधिनियम और आरबीआई अधिनियम को संशोधित करने हेतु समर्थकारी विधान।

- सेबी के साथ आमेलित किए जाने हेतु वायदा बाजार आयोग।

- पूंजी प्रवाह पर नियंत्रण लगाने के लिए वित्तीय विधेयक के माध्यम से फेमा की धारा-6 में संशोधन करना क्योंकि सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से कवायद की जाएगी।

- सेक्टर-न्यूट्रल वित्तीय समाधान अभिकरण की स्थापना के लिए कार्य दल के गठन का प्रस्ताव ताकि सभी सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध शिकायतों का समाधान किया जा सके।

- जल्दी ही भारतीय वित्त संहिता को संसद में विचार के लिए प्रस्तुत करना।

- छूटों के बिना प्रत्यक्ष कर पद्धति को लाने का दृष्टिकोण जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से दरों पर प्रतिस्पर्धी है।

- कर्मचारी को ईपीएफ या एनपीएश के लिए विकल्प चुनने के लिए अनुमत करने हेतु सरकार समर्थकारी विधान लाएगी कतिपय प्रारंभिक मासिक आय की सीमा से नीचे वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के लिए, नियोजक के अंशदान को प्रभावित किए बिना ईपीएफ में अंशदान वैकल्पिक करना।

सोने का मुद्रीकरण

- अपने मेटल खातों में ब्याज अर्जन हेतु सोना जमाकर्ताओं को अनुमति देना व जौहरियों को अपने मेटल खाते के ऋण लेने की स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम।

- सोना धातु खरीदने के लिए विकल्प के तौर पर सरकारी स्वर्ण बाण्ड स्कीम बनाना।

- भारतीय सोने के सिक्के बनाने के लिए कार्य करना जिसके अग्रभाग में अशोक चक्र होगा।

निवेश

- वैकल्पिक निवेश फंडों में विदेशी निवेशों की अनुमति।
- विदेशी निवेशो खासकर विदेशी पोर्टफोलियों निवेशों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों के बीच विभिन्न प्रकार के अंतर समाप्त करना। मिश्रित सीमाओं द्वारा पुनःस्थापन।
- कबोंडिया, म्यांमार, लाओस और वियतनाम में विनिर्मिण केन्द्रों की स्थापना सुसाध्य बनाने के लिए परियोजना विकास कंपनी की स्थापना करना।

सुरक्षित भारत

- निर्भया निधि के लिए 1000 करोड़ रुपए।

पर्यटन

- लैंड स्केप बहाली, चिन्ह और व्याख्या केन्द्र पार्किंग, विकलांगों के अभिगमन को सुग्म बनाना आगंतुकों हेतु सुविधाएं, सुरक्षा व शौचालायों सहित, प्रकाश के साथ कार्य शुरु करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराना और विभिन्न धरोहर स्थलों के आसपास समुदायों को लाभ देने की योजनाएं।
- आगमन पर वीजा का विस्तार चरणबद्ध तीरके से 150 देशों तक करना।

हरित भारत

- नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर 2022 तक 1,75,000 मेगावाट करने का लक्ष्य जिसमें 100000 मेगावाट सौर, 60000 मेगावाट पवन 10,00 मेगावाट बायोमास और 5000 मेगावाट लघु पनबिजली सहित।
- सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार रोकने के लिए अधिप्राप्ति कानून की जरूरत।
- ऐसे विवादों के निपटान हेतु संस्थागत व्यवस्थाएं कारगार बनाने के लिए लोक संविदा (विवादों का निपटान) विधेयक पेश करने का प्रस्ताव।
- विनियामक सुधार विधेयक का प्रस्तावित आरम्भन जो कि अवसंरचना के विभिन्न क्षेत्रों में निश्चितता लाएगा।

स्किल इंडिया

- हमारा संभावित कार्य दल का 5% से कम रोजगार योग्यता के लिए औपचारिक कौशल प्रशिक्षण लेता है। अनेक मंत्रालयों में फैले कौशल कार्यक्रमों के समेकन हेतु राष्ट्रीय कौशल मिशन की शुरूआत करना।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ग्रामीण युवकों की नियोजनीयता बढ़ाएगी।
- श्री दीन दयाल जी उपाध्याय के 100वीं जन्म दिवस समारोह हेतु समिति की शीघ्र घोषणा।
- प्रधान मंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम के जरिए सभी आध्योपन्त छात्रवृतियां का संचालन व मानीटरी हेतु विद्यार्थी वित्तीय सहायता प्राधिकरण।

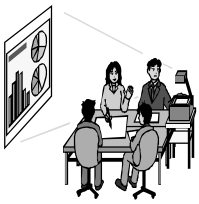

- कर्नाटक में आईआईटी की स्थापना और भारतीय खान विद्यालय, धनबाद का उन्नयन कर को पूर्णतः आईआईटी बनाना।
- जम्मू-कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और असम में नए एम्स की स्थापना। बिहार में एम्स जैसे दूसरे संस्थान की स्थापना।
- अमृतसर में बागवानी अनुसंधान और शिक्षा स्नातकोत्तर संस्थान की स्थापना।

- महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 3 नए राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना और नागालैंड व ओड़िसा प्रत्येक में एक-एक विज्ञान और शिक्षा अनुसंधान संस्थान।
- सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अभिशासन में सुधार के लिए स्वायत्त बैंक बोर्ड ब्यूरो।
- इच्छुक राज्यों को लागत आधार पर पुनःपूर्ति देने की अनुमति देते हुए नेशनल आप्टिकल फाइबर नेटवर्क कार्यक्रम को और तेज किया जाएगा।
- आंध्र प्रदेश की तरह बिहार और पश्चिम बंगाल में विशेष सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पनर्गठन के समय की गई सभी कानूनी वचनबद्धाताओं को करने के लिए पूरा करना।
- राज्यों को अंतरण में भारी वृद्धि के बावजूद शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, आवास, शहरी विकास, महिला व बाल विकास, जल संसाधन और गंगा की सफाई हेतु समुचित निधि आबंटन।
- दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरीडोर; अहमदाबाद-धौलेरा निवेश क्षेत्र और शेद्रा -बिडकिन औद्योगिक पार्क बुनियादी अवसरंचना पर अब कार्य शुरु करने की स्थिति में।

- वायुयान सहित रक्षा उपकरण के क्षेत्र में बेहतर आत्मनिर्भरता, हासिल करने के लिए "मेड इन इंडिया" एंड द बाय एंड मेक इन इंडिया नीति का यथोष्ट अनुशीलन।
- गिफ्ट के पहले चरण का काम शीघ्र मूर्त रूप लेगा। मार्च में समुचित विनियम जारी किया जाएगा।

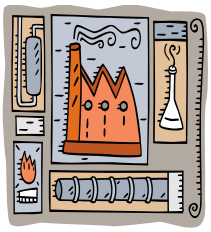

बजट अनुमान

- वित्त वर्ष हेतु आयोजना भिन्न व्यय 13,12,200 करोड़ रुपए अनुमानित।
- आयोजना व्यय ₹4,65,277 करोड़ अनुमानित है, जो सं.अ. 2014-15 के बहुत निकट है।
- तद्नुसार कुल व्यय ₹17,77,477 करोड़ अनुमानित है।

- रक्षा, आंतरिक सुरक्षा व्यय और अन्य आवश्यक व्यय की आवश्यकता की पर्याप्त पूर्ति का प्रावधान किया गया।
- सकल कर प्राप्तियां ₹14,49,490 करोड़ अनुमानित है।
- राज्यों को अंतरण ₹5,23,958 करोड़ अनुमानित है।
- केंद्र सरकार का हिस्सा ₹9,19,842 करोड़ होगा।

- आगामी वित्त वर्ष के लिए कर-भिन्न राजस्व ₹2,21,733 करोड़ अनुमानित है।
- राजकोषीय घाटा सघउ का 3.9 प्रतिशत और राजस्व घाटा सघउ का 2.8 प्रतिशत होगा।

कर प्रस्ताव

- स्थिर कराधान नीति और गैर विरोधाभासी कर प्रशासन का उद्देश्य
- काले धन की बुराई के विरूद्ध लड़ाई जारी रखना
- अगले वर्ष सेजीएसटी के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न मोर्चों पर प्रयास
- वैयक्तिक आय कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं

- अगले वित्त वर्ष से चार वर्षों में कारपोरेट कर घटाकर 30% से 25% करने का प्रस्ताव
- कर विवाद कम करने और प्रशासन सुधारने के लिए विभिन्न कर छूटों और प्रोत्साहनों को युक्तिसंगत बनाना और समाप्त करना।
- बचत सुगम बनाने के लिए व्यष्टि कर दाता को छूट जारी रहेगी।
- प्रमुख विषयः
  - काला धन कम करने के उपाय;
  - विकास और निवेश घरेलू विनिर्माण "मेक इन इंडिया" के माध्यम से रोजगार सृजन
  - व्यवसाय करना सुगम बनाने में सुधार-न्यूनतम सरकार और अधिकतम अभिशासन
  - जीवन की गुणवत्ता और जन स्वास्थ्य में सुधार-स्वच्छ भारत
  - मध्यम वर्गीय कर दाताओं को लाभ; और
  - अर्थव्यवस्था के लिए अधिक लाभ बढ़ाने हेतु स्वतंत्र एकल प्रस्ताव।

काला धन

- काले धन के सृजन और उसे छिपाने के कृत्य से प्रभावी रूप में और बलपूर्वक निपटा जाएगा।
- अप्रकटीकृत विदेशी आस्तियों के मामले में जांच को पिछले 9 महीनों में उच्चतम प्राथमिकता दी गई है।

- स्विस प्राधिकारियों के साथ बातचीत का एक प्रमुख परिणाम सामने आया है और वह निम्नलिखित हेतु सहमत हो गए हैं।
  - आयकर विभाग द्वारा जिन मामलों की स्वतंत्र रूप में जांच की जा रही है उनके संबद्ध में सूचना उपलब्ध कराना।
  - बैंक खातों की वास्तविकता की पुष्टि करना तथा गैर-बैंकिंग सूचना उपलब्ध कराना।
  - ऐसी सूचना समयबद्ध रूप में उपलब्ध कराना; और
  - सूचना के स्वतः आदान-प्रदान हेतु बातचीत शुरू करना

- रिपोर्ट करने वाले निकाय द्वारा विवरणों को इलेक्ट्रानिक रूप में दर्ज कराने के लिए नई संरचना स्थापित करना ताकि अधिक प्रभावी प्रावर्तन हेतु आंकड़ों का निर्बाध समेकन सुनिश्चित किया जा सके।

- विदेश में जमा धन से विशेष रूप में निपटने के लिए काला धन पर व्यापक नया कानून संबंधी विधेयक संसद के चालू सत्र में पेश किया जाना है।

- काले धन पर नये कानून की मुख्य विशेषताएं:

  - विदेशी आस्तियों के संबंध में कर वंचन हेतु 10 वर्षों तक के कठोर कारावास का दंड दिया जा सकता है, अपराध अशमनीय, कर के 300% की दर पर शास्ति लगाई जाएगी और अपराधी को समझौता आयोग के समक्ष जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

  - विदेशी आस्तियों के संबंध में रिटर्न जमा न करने/अपर्याप्त प्रकटन सहित रिटर्न जमा करने के लिए 7 वर्षों तक के कठोर कारावास का दंड दिया जा सकता है।

  - किसी विदेशी आस्ति से अप्रकटिकृत आय पर अधिकतम सीमांत दर पर कर अधिरोपित किया जाएगा।

  - विदेशी आस्तियों के लिए रिटर्न जमा करना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा।

  - सभी व्यक्तियों सहित कम्पनियों बैंक वित्तीय संस्थाओं पर अभियोजन और शास्ति लगाई जाएगी।

  - किसी विदेशी आस्ति के संबंध में आय छिपाने या करवंचन के अपराध को धन-शोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत एक स्थापित अपराध बनाया जाएगा।

  - पीएमएलए 2002 और फेमा में संशोधन किया जाएगा ताकि काले धन पर नए अधिनियम को शासित किया जा सके।

- देश में काले धन पर रोक लगाने के लिए बेनामी लेन-देन (निषेध) विधेयक संसद के चालू सत्र में पेश किया जाएगा।

- स्थावर संपत्ति की खरीद पर नकद ₹20,000 या अधिक की अग्रिम राशि की स्वीकृति या भुगतान निषिद्ध किया जाएगा।

- एक लाख रुपए से अधिक के किसी क्रय या विक्रय पर पैन का उल्लेख करना अनिवार्य किया जा रहा है।

- विदेशी मुद्रा में बिक्री और सीमा पार लेन-देन के बारे में सूचना देने के लिए तीसरे पक्ष के रिपोर्टिंग निकाय की आवश्यकता होगी।

- रिपोर्ट किए जाने योग्य लेन-देन की स्प्लिटिंग से निपटने के उपबंध।

- सीबीडीटी और सीबीईसी द्वारा प्रौद्योगिक का उन्नयन ताकि वे एक दूसरे के आंकड़ा आधार से सूचना प्राप्त सके।

मेक इन इंडिया

- देश में विनिर्माण एककों के विकास का पुनरूद्धार और निवेश तथा संवर्धन उपलब्ध कराना ताकि उनमें रोजगार सृजन हो सके।

- श्रेणी I और श्रेणी II दोनों वैकल्पिक निवेश निधि के लिए कर "पास थ्रू" की अनुमति देना।

- आरईआईटी और ईनविट्स के एककों को सूचीबद्ध करते समय विद्यमान प्रयोजकों के लिए पूंजीगत लाभ व्यवस्था का युक्तिकरण।
- आरईआईटी की अपनी आस्तियों से भाड़ा आय को पास थ्रू सुविधा प्रदान किया जाना।
- निधि प्रबंधकों को भारत में फिर से आबंटित करने के लिए स्थाई स्थापन (पीई) मानदंडो को आशोधित किया जाना।
- जीएएआर को दो वर्षों तक आस्थिगत किया जाए।

- जीएएआर को लागू किए जाने पर वह 1.4.2017 को या उसके बाद दिए गए निर्देश के अनुसार भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा।
- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में 1.4.2015 से 31.3.2020 तक की अवधि के दौरान स्थापित नई विनिर्माण इकाईयों को 15% की दर पर अतिरिक्त निवेश भत्ता और 35% की दर से अतिरिक्त अवमूल्यन की अनुमति प्रदान करना।
- तकनीकी सेवाओं पर रायल्टी और शुल्क पर आयकर की दर 25% से घटाकर 10% कर दी गई है ताकि प्रौद्योगिकी अन्तर्वाह को बढ़ावा मिल सके।
- सभी व्यवसायिक निकायो को नये नियमित कर्मचारियों को रोजगार पर रखने के लिए कटौती का लाभ और पात्रता की आरंभिक सीमा घटाई गई है।
- कतिपय निवेशों. कच्ची सामग्रियों , मध्यवर्ती सामग्रियों और 22 मदों के संघटकों पर बुनियादी सीमा शुल्क घटा दी गई है ताकि शुल्क उत्क्रमण का प्रभाव न्यूनतम हो सके।

- आईटीए आवद्ध मदों के विनिर्माण में प्रयुक्त पापूलेटिड प्रिटिंड सर्किट बोर्डो को छोड़कर सभी वस्तुओं को एसएडी से छूट दी गई है।
- कतिपय निवेशों और कच्ची सामग्रीयों के आयात पर एसएडी कम किया गया।
- एम्बूलेंस के चेसिस पर उत्पाद शुल्क 24% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है।
- विनिर्माण यूनिट या विद्युत उत्पादन और संवितरण का कार्य करने वाली यूनिट द्वारा संस्थापित नए संयंत्र और मशीनरी और छह महीने से कम प्रयुक्त की गई मशीनरी के लिए 20% की दर से अतिरिक्त अवमूल्यन का 50% शेष अगले वर्ष अनुमत किया जाएगा।

व्यवसाय करना सुगम बनाना-न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन

- कर प्रक्रियाओं का सरलीकरण
- आईटीएटी पीठ के एकल सदस्य द्वारा सुनवाई की जाने वाले मामले के लिए मौद्रिक सीमा ₹5 लाख रुपए से बढ़ाकर ₹15 लाख रुपए करना।
- अप्रत्यक्ष करों में शास्ति के प्रावधानों को अनुपालना और शीघ्र विवाद निपटान हेतु यौक्तिकीकृत बनाया जा रहा है।
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर निर्धारितियों को डिजीटली हस्ताक्षरित इनवोइस और इलेक्ट्रोनिक रूप में रिकार्ड रखने की अनुमति दिया जाना।

- वार्षिक रूप से ₹1 करोड़ से अधिक कर योग्य आय वाले धनाढ्य पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार को धन कर से प्रतिस्थापित करना।
- आय कर अधिनियम में अप्रत्यक्ष अंतरण के प्रावधान को उपयुक्त रूप से परिमार्जित किया जाना।
- विदेशी कंपनियों द्वारा अपने शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश के लिए अप्रत्यक्ष अंतरण के प्रावधानों की प्रयोज्यता का समाधान स्पष्टीकरण परिपत्र द्वारा किया जाना।

- घरेलू अंतरण मूल्य निर्धारण की प्रारभिक सीमा ₹5 करोड़ से ₹ 20 करोड़ किया जाना
- एफआईआई और एओपी के सदस्यों के लिए मैट का यौक्तिकरण।
- कर प्रशासन आयोग की सिफारिशों को वर्ष के दौरान उपयुक्र रूप से क्रियान्वयन किया जाना
- शिक्षा उपकर और माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा उपकर को केंद्रीय उत्पाद शुल्क में आमेलित करना।
- कतिपय अन्य वस्तुओं के मामले में केंद्रीय उत्पाद शुल्क की विशिष्ट दरों में संशोधन

- सिगरेटों पर उत्पाद लेवी और पान मसाला गुटखा और अन्य तम्बाकू उत्पादों पर समिश्रित लेवी में परिवर्तन।
- ऊपरी हिस्सा चमड़े के खुदरा मूल्य वाले ₹1000 से अधिक प्रति जोड़ी मूल्य के जूतों पर उत्पाद शुल्क घटाकर 6% किया जाना।
- आनलाइन केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर पंजीकरण दो कार्य दिवसों में किया जाना।
- निविष्टि और निविष्टि सेवाओं पर सेनवैट लेने की समय-सीमा 6 महीने से बढाकर 1 वर्ष करना।
- जीएसटी में लाने के सुगमीकरण हेतु शिक्षा उप-कर सहित सेवा-कर 12.36% से बढ़ाकर 14%
- नशीले पदार्थो के दुरूपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि में किया गया अनुदान आय-कर अधिनियम की धारा 80छ के अंतर्गत 100% छूट
- जब्त नकदी को निर्धारिती की कर देयता के लिए समायोजित किया जाना

स्वच्छ भारत

- स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा निधि में, सीएसआर अंशदान के अलावा, अंशदानों के लिए 100% छूट

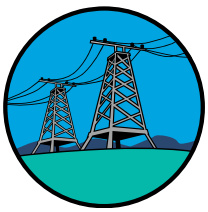

- स्वच्छ पर्यावरण पहलों के वित्त पोषण के लिए कोयला आदि पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर को बढ़ाकर ₹100 से ₹200 प्रति मीट्रिक टन करना।
- औद्यौगिक प्रयोग के अलावा एथिलिन के पालिमर के बस्तों और बोरों पर उत्पाद शुल्क 12% से बढ़ाकर 15%

- यदि आवश्यक हो, तो सभी या कतिपय सेवाओं पर 2% की दर से स्वच्छ भारत उप-कर उद्ग्रहण का समर्थकारी प्रावधान
- सामान्य एक्यूलेट ट्रिटमेंट प्रलांट सेवाओं को सेवाकर से छूट
- विद्युत चालित वाहनों और हाइब्रिड वाहनों पर लागू रियायती सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क को बढ़ाकर 31.3.2016 तक करना।

मध्यम-वर्ग के कर-दाताओं को प्रसुविधाएं

- स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम की छूट सीमा को ₹15000 से बढ़ाकर ₹25000, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा ₹20000 से बढ़ाकर ₹30000 की गई।
- 80 वर्ष से अधिक की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों जो स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर नहीं हैं, को चिकित्सीय व्यय के लिए ₹30000 की कटौती की अनुमति करना।
- गंभीर स्वरूप की विनिर्दिष्ट बिमारियों के संबंध में ₹60000 की छूट सीमा को बढ़ाकर वरिष्ठ नागरिक के मामले में ₹80000 कर दी गई है।

- विकलांग व्यक्तियों के लिए ₹25000 की अतिरिक्त कटौती।
- पेंशन निधि और नई पेंशन स्कीम में अंशदान के लिए छूट की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 लाख की गई है।
- धारा 80गगघ के अंतर्गत नई पेंशन स्कीम में अंशदान के लिए ₹50000 की अतिरिक्त छूट

- सुकन्या समृद्धि स्कीम में जमा पर ब्याज भुगतान सहित लाभार्थियों को संदायों को पूर्णता छूट।
- वरिष्ठ बीमा योजना पर सेवा-कर में छूट।
- राजकोषीय क्षमता सुधारों के रूप में आगे के लिए सहायता।
- राजकोषीय क्षमता सुधारों के रूप में लोट टू लुक फारवर्ड
- पेट्रोल और डीजल पर ₹4 प्रति लीटर मौजूदा उत्पाद शुल्क के निधि निवेश हेतु सड़क लिखत में परिवर्तन।
- फल और सब्जियों के संबंध मं कतिपय प्री-कोल्ड भंडारण सेवाओं में सेवा-कर छूट को बढ़ाया ताकि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन के प्रोत्साहन हेतु।

- सेवा-कर के तहत कर आधार को व्यापक करने के लिए नकारात्मक सूची को छोटा किया गया।
- आय-कर अधिनियम की धारा 2(15) के अंतर्गत योग को धमार्थ प्रयोजन के कार्यक्षेत्र में लाना।
- कई असल धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा सामाना की जा रही समस्या को समाप्त करने के लिए, यह प्रस्ताव है कि कारोबार, वाणिज्य अथवा व्यवसाय के स्वरूप वाले कार्यकलापों से प्राप्तियों पर ₹ 25 लाख की मौजूदा उच्चतम सीमा को संशोधित करके कुल प्राप्तियों की 20% करना।

- प्रत्यक्ष कर संहिता के अधिकतर प्रावधानों को आय-कर अधिनियम में पहले ही शामिल कर लिया गया है। इसलिए प्रत्यक्ष कर संहिता की यथास्थिति को लेकर आगे बढ़ने के लिए कोई तर्क शेष नहीं है।

- प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से ₹8315 करोड़ की राजस्व हानि होगी जबकि अप्रत्यक्ष करों के प्रस्तावों से ₹23383 करोड़ प्राप्ति की संभावना, इस प्रकार कुल प्रस्तावों के निवल प्रभाव से ₹15068 करोड़ का राजस्व अभिलाभ।

अन्य

- बुनियादी सीमा शुल्क में वृद्धिः
  - मेटालर्जिकल कोक 2.5% से 5%
  - लौह और इस्पात तथा लौह एवं इस्पात की वस्तुओं पर प्रशुल्क दर 10% से बढ़ाकर 15% करना
  - वाणिज्यिक वाहन पर प्रशुल्क दर 10% से बढ़ाकर 40% करना
- डिजिटल स्टिल इमेज विडियो कैमरे पर कतिपय विनिर्देशन बुनियादी सीमा शुल्क घटाकर शून्य।
- रेल मार्ग के विनिर्माण अथवा ट्रॉम मार्ग निर्माण माल के लिए रेल पर उत्पाद शुल्क भूतलक्षी प्रभाव अथार्त, 17-03-2012 से 02-02-2014, तक यदि ऐसी रेलों पर अदा किए गए शुल्क में सेनवैट क्रेडिट शामिल नहीं लिया गया है, तो उत्पाद शुल्क से छूट।
- आमोद प्रमोद सुविधाओं, मनोरंजन इवेंट्स अथवा कंसर्ट, समारोह, गैर मान्यताप्राप्त खेलकूद इवेंटों आदि की पहुँच के लिए उपलब्ध करायी गई सेवा पर सेवा-कर लगाया गया।
- सेवा कर छूट
  - फलों व सब्जियों की प्रि-कंडीशनिंग, प्रिकूलिंग, पकाने की सेवाएं
  - वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना द्वारा प्रदान की गई जीवन बीमा सेवाएं
  - मरीजों को दी गई सभी एंबूलेंस सेवाएं ।
  - संग्रहालय, चिडियाघर, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व में प्रदेश।
  - कारखाने से भू सीमाशुल्क स्टेशन तक सड़क द्वारा निर्यात हेतु माल की ढुलाई।
- नकारात्मक सूची से सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी सेवाओं को बाहर करने के लिए समर्थकारी प्रावधान करना।
- हवाईअड्डे या पत्तन से संबंधित निर्माण, मूल कार्य को शुरू करना अथवा संस्थापना को सेवा-कर से छूट वापस।

- कृषि उत्पाद की ढुलाई को सेवा-कर से छूट जारी रहेगी।
- कृत्रिम हृदय को 5% के बुनियादी सीमा शुल्क और सीवीडी से छूट।
- अगरबत्ती के विनिर्माण के दौरान सामने आए स्थूल खपत मध्यवर्ती मिश्रण को उत्पाद शुल्क से छूट।